पशु क्रूरता निवारण
(अर्थदंड आरोपण) नियम, 1978

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 उपधारा (2) वाक्य (एच) में प्रदत्त शक्तियों के प्रवर्तन में केन्द्रीय सरकार यहां निम्नांकित नियम, उक्त धारा के अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित, बनाती है, यथाः

पशु-क्रूरता निवारण
(अर्थदंड आरोपण) नियम, 1978

1. संक्षिप्त शीर्षक

ये नियम पशु-क्रूरता निवारण (अर्थदंड आरोपण) नियम, 1978 कहलाएंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों, संदर्भ में अन्यता अपेक्षित न हो तो;

(क) 'अधिनियम' से तात्पर्य है : पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

(ख) 'बोर्ड' से तात्पर्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोड।

(ग) 'अर्थदंड' से तात्पर्य है अधिनियम में आरोपित अर्थदंड।

3. एकत्र करने की लागत घटाकर अर्थदंड बोर्ड को भेजना

जो अर्थदंड अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित और वसूल किया जाएं उसे राज्य सरकार द्वारा, तत्संबंधी वसूली की लागत घटाकर और विधानसभा द्वारा उसका विधि द्वारा युक्तिकरण करने के बाद, शीघ्रतिशीघ्र बोर्ड को भेजा जाएगा।

4. बोर्ड को प्राप्त अर्थदंड का उपयोगः

(1) राज्य सरकार से प्राप्त अथदंड - राशि को बोर्ड आत्यान्तिक रूप से निम्नांकित प्रयोजन पर व्यय करेगा, यथा

(अ) ऐसी समितियों को वित्तीय सहायता का अनुदान देना जो पशु-क्रूरता निवारण में लगी हो या ऐसे संगठन जो पशु-कल्याणार्थ सक्रियता और रूचि से लगे हो, जिन्हे तत्समय बोर्ड द्वारा मान्यता दी गई हो।

(आ) असहाय पशु-शालाओं, पांजरापोल और पशु-चिकित्सालयों के पोषण हेतु।

(2) एक राज्य में एकत्र अर्थदंड राशि जो राज्य द्वारा बोर्ड को भेजी गई हो वह उस राज्य की ही ऐसी समितियों और संगठनों के हित में ही व्यय की जाएगी जो उस राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थित हो।

5. अर्थदंड - राशि - उपयोग के सिद्धान्त

किसी भी राज्य की समितियों या संगठनों के हित में अर्थदंड - राशि के उपयोग में बोर्ड निम्नांकित सिद्धान्तों पर उपयुक्त ध्यान देगा।

(अ) वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा प्रथमतः उन समितियों को दी जाएगी जो बोर्ड द्वारा यथासमय मान्यता प्राप्त हो और उस राज्य में पशु–क्रूरता निवारण कार्य में कार्यरत हों।

(आ) इन समितियों को वित्तीय सहायता का अनुदान देते समय इस बात पर विशेष गोर किया जाएगा कि इन नियमों के प्रभावी होने के पूर्व उन समितियों को राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि दी जा रही थी और बोर्ड के पास उपलब्ध अर्थदंड राशि और संबंधित समितियों की राजस्व आय से संगतता रहे, सहायता किन उद्देश्यों के लिए दी जा रही है आदि संगत बातों पर ध्यान देते हुए बोर्ड यह पूरा प्रयास करेगा कि दी जाने वाली सहायता उन्हें पूर्व में प्राप्त राशि से कम न हो।

(इ) इस नियम में पूर्व में संदर्भित समितियों को वित्तीय सहायता देने के बाद यदि कोई राशि बिना–व्यय के शेष बने तो बोर्ड उसे अपने विवेक से सक्रिय और रूचिवान पशु–कल्याणकारी संगठनों के हित में व्यय करेगा जिसमें असहाय पशुशालाएं, पांजरापोल और पशु–चिकित्सालय सम्मिलित माने जाएंगे।

(भारत गजट भाग 1 विभाग 2 (आ) में अधिसूचित : भार सरकार के कृषि एवं सिचाई मंत्रालय (कृषषि विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 14–21/76–एलडी1 – दिनांक 15–2–1978 के संदर्भ से)

सभी संस्थायें जो एबीसी कार्यक्रम को चला रही है, उनसे अनुरोध है कि एबीसी आपरेशन किये गये कुत्तों पर किटोप्रोफेन, कारप्रोफन एवं फ्लूनिक्सिन(एनएसआईडी) के अन्दर एन्टी इन्फ्लमेशन गुण होने से इसका प्रयोग न करें।